

राजस्थान सरकार

राजस्व-गुप-6 विभाग

क्रमांक: प. ३६६/राज-6/2004 / 13

जयपुर दिनांक 27.2004

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956 की धारा 260 की उपधारा 1 के खण्डों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 6६9/राज-4/74 दिनांक 30-1-75 जिसके द्वारा 91 की शक्तियाँ सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ताओं की दी गई थी, को वापिस लिया जाता है अब इन शक्तियों का प्रयोग तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों द्वारा ही किया जायेगा ।

राज्यपाल के आदेश से



उप शासन सचिव

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मुख्य मंत्री / राजस्व मंत्री
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव,
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व
4. निजी सचिव, सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग
5. समस्त जिला कलेक्टर ।
6. निर्बंधक राजस्व मण्डल अजमेर ।
7. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग
8. राजस्व विभाग के समस्त अनुभाग
9. निदेशक सूचना एवं जनसर्क निर्माण जयपुर
10. अधिक्षक राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को उपरोक्त अधिसूचना का राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 27.2004 में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है ।
11. रक्षित पत्रावली ।



उप शासन सचिव